रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929
No. 1594] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2007

सं. 66 (आई ई-2007)/2004–2009

का. आ. 2186(अ).—यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति (आर ई-2007) 2004–2009 में निम्नलिखित संशोधित करती है :–

1. पैरा 3.8.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"2007-08 के दौरान निर्यातों हेतु, आई टी सी (एच एस) अध्याय-1 से 24 के तहत शामिल उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी स्तर धारकों (1-4-2007 से स्तर मान्यताप्राप्त) को कृषि निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का लाभ प्रदान किया जाएगा (पैरा 3.8.2 के तहत मिलने वाले लाभों सहित) बशर्ते कि सभी स्तर धारकों का सम्मिलित लाभ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो (यानी प्रत्येक आधे वर्ष हेतु 50 करोड़ रुपए) और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (संशोधित संस्करण-2007) के पैरा 3.19.10 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों । सभी स्तर धारकों को लाभ की मंजूरी देने के लिए जोनल कार्यालय, सी एल ए, नई दिल्ली लाइसेंसिंग कार्यालय होगा ।"

निम्नलिखित पूंजीगत माल/उपकरणों को आयात करने की अनुमति होगी–

(1) प्याज आदि हेतु कोल्ड स्टोरेज यूनिटें [कंट्रोल्ड एटमासफियर, (सी ए) और माडीफाइड एटमासफियर (एम ए) स्टोर्स सहित], और प्री-कूलिंग यूनिटें और मदरस्टोरेज यूनिटें ।

(2) पैक हाउसेस (हेंडलिंग, ग्रेडिंग, सार्टिंग और पैकेजिंग आदि हेतु सुविधाओं समेत); और रीफर वैन/कंटेन्र्स ।

आयातित पूंजीगत माल/उपकरणों का इस्तेमाल स्टोरेज, पैकिंग आदि [ऊपर (2) के अनुसार] और कृषि उत्पादों की ढुलाई (एग्रो-प्रोसेस्ड पैरीशेबल उत्पादों समेत) हेतु किया जाएगा ।

यह अतिरिक्त लाभ वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे होगा, अत: अहस्तांतरणीय होगा ।

2. यह 1-4-2007 के दौरान किए गए निर्यातों पर लागू होगा ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/94/180/461/एएम 08/पी सी-1]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December 2007

No. 66 (RE-2007)/2004—2009

S.O. 2186(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation)

Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2004—2009, as amended, the Central Government hereby makes the following amendments in FTP (RE-2007), 2004—2009.

1. Para 3.8.6 is replaced as under :

"For exports during 2007-08, all Status Holders (having status recognition w.e.f. 1.4.2007) exporting products covered under ITC HS Chapters 1 to 24, shall be incentivized with duty credit scrip equal to 10% of FOB value of agricultural exports (including benefits entitled under paragraph 3.8.2) provided that the total benefits for all status holders put together does not exceed Rs. 100 Cr (i.e. Rs. 50 Cr for each half year) and the conditions specified in Para 3.19.10 of HBP v1 (RE-2007) are satisfied. Zonal Office CLA, New Delhi shall be the licensing office for grant of the benefit to all status holders."

The following capital goods/equipments shall be permitted for import :

(i) Cold storage units [including Controlled Atmosphere (CA) and Modified 'Atmosphere (MA) Stores]; and Pre-cooling Units and Mother Storage Units for Onions, etc.;

(ii) Pack Houses (including facilities for handling, grading, sorting and packaging etc.); and (iii) Reefer Van/Containers.

Imported capital goods/equipment shall be utilized for storage, packing etc. [as in (ii) above] and transportation of agricultural products (including agro-processed perishable products).

This additional benefit shall be subject to actual user condition and hence non-transferable."

2. This shall apply for exports w.e.f 1-4-2007.

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/461/AM 08/PC-1]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.